

5-2-20

व कुलाम उपस्थित। मूल दाये की
पत्रावली में प्राथमिक डिप्टी जारी दी
गई है एवं प्राथमिक पत्र प्रभाव दीन होने
में अग्रविज किया जाता है पत्रावली
के बाल शमार दीकर वा खिल पकलर
हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

